भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3599

जिसका उत्तर 4 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है।

.....

केन-बेतवा परियोजना का प्रभाव

3599. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

श्री राजमणि पटेलः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केन-बेतवा परियोजना के उस स्थानीय जनसंख्या पर प्रभाव का आकलन किया है जो परियोजना कार्यान्वयन द्वारा विस्थापित हो जाएगी;

(ख) यदि हाँ, तो विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विस्थापित लोगों को पुनर्वसित किया जाएगा और उन्हें किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) यह सुनिश्चित करने हेतु किए गए उपाय कौन-से हैं कि जन सुनवाई में उपस्थित होने के लिए कहे जाने से पूर्व स्थानीय जनसंख्या को परियोजना के विषय में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई थी?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वरटुडू)

(क) और (ख): प्रस्तावित केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) का एक व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययन किया गया है ताकि परियोजना के वास्तविक, जैविक और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले अनुकूल और प्रतिकूल प्रभावों का पता लगाया जा सके। ऐसा अनुमान है कि दौधन जलाशय से कुल जलमग्नता लगभग 9,000 हेक्टेयर होगी जिसमें पन्ना टाइगर रिजर्व (पीटीआर) कोर का 4141 हेक्टेयर क्षेत्रफल, पीटीआर का 1314 हेक्टयेर का बफर और 10 गांव शामिल होंगे। इन 10 गांवों में लगभग 1913 परिवार प्रभावित होंगे। केन-बेतवा लिंक परियोजना के अन्य घटकों के लिए जलमग्नता और पुनर्स्थापन और पुनर्वास का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग) और (घ): केन-बेतवा लिंक परियोजना के पुनर्स्थापन और पुनर्वास योजना को भूमि अधिग्रहण में उचित क्षतिपूर्ति एवं पारदर्शिता अधिकार, पुनर्स्थापन और पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अनुसार तैयार किया गया है। इसके अनुसार ही केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत प्रभावित परिवारों को राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्वास लागत की गणना की गई है।

(ड.): मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) ने वर्ष 2014 में छतरपुर जिले के सिलोन गांव और पन्ना जिले के हिंनोटा गांव में जन सुनवाई आयोजित की थी। इन जन सुनवाईयों से पहले एमपीपीसीबी ने स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक परामर्श और प्रकाशन के लिए एक सूचना को प्रकाशित किया था जिसमें जनता को 30 दिन के भीतर अपने विचार प्रस्तुत करने का समय दिया गया था। एमपीपीसीबी द्वारा परियोजना कार्यकारी सार, जिलाधिकारी कार्यालय, नगर निगम कार्यालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, राज्य पर्यावरण विभाग इत्यादि में जमा कराया गया जिससे कि पर्याप्त सार्वजनिक पंहुच को सुनिश्चित किया जा सके। आयोजित की गई दोनों ही जन सुनवाई में जनता की अच्छी भागीदारी रही।

*****

अनुलग्नक

"केन-बेतवा परियोजना का प्रभाव" के संबंध में दिनांक 04.04.2022 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3599 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	गांवों की संख्या	परियोजना प्रभावित परिवारों की संख्या	जलमग्न क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1.	लोअर ऑर डैम	12	944	2,723.70
2.	कोठा बैराज परियोजना	27	638	1,359
3.	बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट	84	2,290	9,114.70

*****